



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05062026-273196
CG-DL-E-05062026-273196

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2761]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 4, 2026/ज्येष्ठ 14, 1948

No. 2761]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 4, 2026/JYAISTHA 14, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर रेलवे (सड़क सुरक्षा परियोजना इकाई)]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2026

का.आ. 2855(अ).— केन्द्रीय सरकार रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खण्ड (37-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से—

1. उत्तरेटिया—सुल्तानपुर खण्ड पर किमी 947.353 पर एल.सी. संख्या 108—सी के स्थान पर 2—लेन आर.ओ.बी. (रेलवे व्यय पर) का निर्माण।

और

2. उत्तरेटिया — सुल्तानपुर खण्ड पर किमी 973.806 पर एल.सी. संख्या 138—एसी के स्थान पर 2—लेन आर.ओ.बी. (रेलवे व्यय पर) का निर्माण।

उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में स्थित, के निर्माण में लोक प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना उपबंधित कराने हेतु, उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी में लगभग 1.27 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण हेतु "विशेष रेल परियोजनाओं" के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. 01/आर.एस.पी/लैंड एक्वीजिशन/एल.सी.-108—सी एवं एल.सी.-138—एसी /एल.के.ओ डिव०./यु.टी.आर.—एस.एल.एन.]

संजय कुमार श्रीवास्तव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS
[Northern Railway (Road Safety Projects Unit)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2026

S.O. 2855(E).— In exercise of the power conferred by clause (37-A) of Section 2 of the Railways (Amendment) Act-2008, the Central Government hereby notifies the projects of -

1. “Provision of 2-lane ROB (at Railway Cost) in lieu of LC no. 108-C at KM 947.353” on Utratia- Sultanpur section”

And

2. “Provision of lane ROB (at Railway Cost) in lieu of LC no. 138-AC at KM 973.806” on Utratia- Sultanpur section”

in Lucknow Division of Northern Railway as a "**Special Railway Projects**" for acquisition of approximately **1.27** hectares of land in Amethi District in the State of Uttar Pradesh, for providing national infrastructure for public purpose with effect from the date of publication of this notification in the official gazette.

[F. No. 01/RSP/Land Acquisition/LC 108-C & LC 138-AC /LKO DIV/UTR-SLN]

SANJAY KUMAR SRIVASTAVA, Chief Administrative Officer/Construction